



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

23 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 980 राँची, सोमवार, 15 अक्टूबर, 2018 (ई०)

---

### विधि (विधान) विभाग

-----  
अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2018

संख्या-एल०जी०-11/2017-156/लेज०--झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीया राज्यपाल दिनांक-15/10/2018 को अनुमति दे चुकी है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

**झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018****(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 08, 2018)**

झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017  
(झारखण्ड अधिनियम - 12, 2017) में संशोधन हेतु अध्यादेश।

प्रस्तावना:-

चूँकि, झारखण्ड राज्य की विधान-सभा सत्र में नहीं है और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण झारखण्ड माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (झारखण्ड अधिनियम 12, 2017) के कतिपय विद्यमान प्रावधानों में संशोधन, विलोपन तथा प्रतिस्थापन हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है:-

इसलिए अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ- (1) यह अध्यादेश झारखण्ड माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 कहा जाएगा।

(2) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अध्यादेश के उपबंध उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे :

परन्तु इस अध्यादेश के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे उपबंध में इस अध्यादेश के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का अर्थान्वयन उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रतिनिर्देश के रूप में किया जाएगा।

धारा 2 का संशोधन।

2. झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में:-

(1) खंड (4) में, “अपील प्राधिकारी और अपील अधिकरण” शब्दों के स्थान पर, “धारा 171 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट अपील प्राधिकारी, अपील अधिकरण और प्राधिकारी” शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(2) खंड (16) में, “केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड” शब्दों के स्थान पर, “केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमाशुल्क बोर्ड” शब्द रखे जाएंगे

(3) खंड (17) में, उपखंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(ज) किसी घुडदौड क्लब द्वारा योगक या अनुज्ञप्ति के माध्यम से बुक मेकर को उपलब्ध कराई गई सेवाएं या किसी अनुज्ञप्तिधारी बुक मेकर की ऐसे क्लब को सेवाएं; और”;

(4) खंड (18) का लोप किया जाएगा;

(5) खंड (35) में, “खंड (ग)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर के स्थान पर “खंड (ख)” शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखा जाएगा;

(6) खंड (69) में, उपखंड (च) में “अनुच्छेद 371” शब्द और अंक के पश्चात् “और अनुच्छेद 371” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(7) खंड (102) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा,

अर्थात् :-

‘स्पष्टीकरण - शंकाओं के निवारण के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि “सेवा” पद में प्रतिभूतियों में संव्यवहारों को सुकर/सुगम बनाना या प्रबंध करना सम्मिलित है”।

धारा 7 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 में, 1 जुलाई, 2017 से,--

(1) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (ख) में, “चाहे वह कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए हो या नहीं” शब्दों के पश्चात्, “और” शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा और सदैव अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा;

(ii) खंड (ग) में, “क्रियाकलाप” शब्द के पश्चात्, “और” शब्द का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा;

(iii) खंड (घ) का लोप किया जाएगा और सदैव लोप किया गया समझा जाएगा ; ' ;

(2) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी और सदैव अंतःस्थापित की गई समझी जाएगी, अर्थात् :-

“(1क) जहां कतिपय कार्यकलाप या संव्यवहार उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार कोई पूर्ति हैं, उन्हें अनुसूची 2 में यथानिर्दिष्ट माल की पूर्ति या सेवा की पूर्ति माना जाएगा।”;

(3) उपधारा (3) में, “उपधारा (1) और उपधारा (2)” शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, “उपधारा (1), उपधारा (1क) और उपधारा (2)” शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 9 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :-

“(4) सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के एक वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो किसी अरजिस्ट्रीकृत पूर्तिकार से प्राप्त माल या सेवाओं या दोनों के विनिर्दिष्ट प्रवर्गों की पूर्ति के संबंध में ऐसे माल या सेवा या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर का संदाय करेंगे तथा इस अधिनियम के सभी उपबंध ऐसे प्राप्तिकर्ता को लागू होंगे मानों वह माल या सेवा या दोनों की ऐसी पूर्ति के संबंध में कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्ति है।”।

धारा 10 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 में,-

(1) उपधारा (1) में,-

‘(क) “उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर” शब्दों के स्थान पर, “धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के बदले ऐसी दर पर” शब्द, अंक और कोष्ठाक रखे जाएंगे ;

(ख) परंतुक में, “एक करोड़ रूपए” शब्दों के स्थान पर, “एक करोड़ पचास लाख रूपए” शब्द रखे जाएंगे;

(ग) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, जो खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कर का संदाय करने का विकल्प लेता है, किसी राज्य में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में कारबार के दस प्रतिशत से अनधिक मूल्य की सेवा (अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट से भिन्न) या पांच लाख रूपए, जो भी अधिक हो, की पूर्ति कर सकेगा।”;

(2) उपधारा (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा,

अर्थात् :-

“(क) उपधारा (1) में यथा उपबंधित के सिवाय, वह सेवा की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;”।

धारा 12 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के खंड (क) में, “उपधारा (1)” शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

धारा 13 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) में, दोनों स्थानों पर आने वाले “उपधारा (2) के” शब्द, कोष्ठक और अंक का लोप किया जाएगा।

धारा 16 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) में,-

(1) खंड (ख) में, स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण-इस खंड के प्रयोजनों के लिए यह समझा जाएगा कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने, यथास्थिती, माल या सेवा को प्राप्त किया है-

(i) जहां माल का परिदान किसी पूर्तिकार द्वारा किसी प्राप्तिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के

निदेश पर किया गया है, चाहे वह अभिकर्ता के रूप में या अन्यथा माल के संचलन से पूर्व या दौरान, माल के मालिकाना दस्तावेजों के अंतरण के माध्यम से या अन्यथा कार्य कर रहा हो;

(ii) जहां सेवा का उपबंध पूर्तिकार द्वारा किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के निदेश पर और उसके मद्दे किया जाता है।”;

(2) खंड (ग) में, “धारा 41” शब्द और अंक के स्थान पर, “धारा 41 या धारा 43क” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 17 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 17 में,—

(1) उपधारा (3) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

**स्पष्टीकरण-** इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए “छूट-प्राप्त पूर्ति का मूल्य” पद में अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा।”;

(2) उपधारा (5) के खंड (क) और खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात् :-

“(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :-

(अ) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; (कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग-

(i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :-

(अ) ऐसे जलयान और वायुयान की और पूर्ति; या

(आ) यात्रियों का परिवहन; या

(इ) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना या

(ई) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;

(ii) माल के परिवहन के लिए;

(कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है :

परंतु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा--

(i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

(ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो-

(i) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या

(ii) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है;

(ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति-

(i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कास्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा :

परंतु ऐसे माल एवं सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय समिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;

(ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केंद्र की सदस्यता;  
और

(iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुट्टियों पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे :

परंतु ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो ।”

धारा 20 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 20 में, स्पष्टीकरण में, खंड (ग) में, “प्रविष्टि 84 के अधीन” शब्दों और अंक के स्थान पर, “प्रविष्टि 84 और प्रविष्टि 92क के अधीन” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 22 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 में,—

(1) उपधारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :..

“परंतुक यह और कि सरकार विशेष प्रवर्ग के किसी राज्य के अनुरोध पर तथा परिषद् की सिफारिशों पर पहले परंतुक में निर्दिष्ट समय आवर्त को दस लाख रूपए से ऐसी रकम तक बढ़ा सकेगी, जो बीस लाख रूपए से अधिक नहीं होगी और ऐसी शर्तों और सीमाओं के अधीन रहते हुए, जो इस प्रकार अधिसूचित की जाए ;”;

(2) स्पष्टीकरण में, खंड (iii) में, “जम्मू-कश्मीर राज्य” शब्दों के पश्चात् “और अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, और उत्तराखंड राज्य” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।”।

धारा 24 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 24 के खंड (ग) में “वाणिज्य प्रचालक” शब्दों के पश्चात् “जिससे धारा 52 के अधीन कर का संग्रहण करने की अपेक्षा है” शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे।



धारा 25 का  
संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 में,--

(1) उपधारा (1) में, पहले परंतुक के पश्चात् और स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास किसी विशेष आर्थिक जोन में विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 में यथापरिभाषित कोई यूनिट है या जो विशेष आर्थिक जोन विकासकर्ता है, ऐसे किसी पृथक् रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करना होगा, जो कि उसी राज्य में विशेष आर्थिक जोन के बाहर अवस्थित उसके कारबार के स्थान से सुभिन्न है।”;

(2) उपधारा (2) में, परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसके पास किसी राज्य में कारबार के बहु स्थान हैं, वहां विहित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, कारबार के ऐसे प्रत्येक स्थान के लिए पृथक् रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया जा सकेगा।”।

धारा 29 का  
संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 29 में,--

(1) पार्श्व शीर्ष में, “रद्दीकरण” शब्द के पश्चात् “या निलंबन” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(2) उपधारा (1) में, खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्रीकृत के रद्दीकरण के संबंध में फाइल की गई कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा।”;

(3) उपधारा (2) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परंतुक यह और कि रजिस्ट्रीकरण के रद्दीकरण से संबंधित कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, समुचित अधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, निलंबित किया जा सकेगा”।

धारा 34 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 34 में, --

(1) उपधारा (1) में, --

(क) “कोई कर बीजक जारी किया गया है” शब्दों के स्थान पर “ एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “जमा पत्र जारी” शब्दों के स्थान पर “ किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक जमा पत्र जारी” शब्द रखे जाएंगे;

(2) उपधारा (3) में, --

(क) “कोई कर बीजक जारी किया गया है” शब्दों के स्थान पर “एक या अधिक कर बीजक जारी किए गए हैं” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “नामों नोट” शब्दों के स्थान पर “किसी वित्तीय वर्ष में की गई पूर्तियों के लिए एक या अधिक नामे नोट जारी” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 35 का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (5) में निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी को लागू नहीं होगी, जिसकी लेखाबहियां, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की संपरीक्षा के लिए नियुक्त किसी लेखापरीक्षक द्वारा संपरीक्षा किए जाने के अधीन है।”

धारा 39 का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 39 में, --

(1) उपधारा (1) में, -

(क) “ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए” शब्दों के स्थान पर “ऐसे प्रारूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) “ऐसे कलेंडर मास या उसके किसी भाग के उत्तरवर्ती मास के बीसवें दिन को या उससे पूर्व” शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ग) निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए विवरणी प्रस्तुत करेंगे।”;

(2) उपधारा (7) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु सरकार परिषद् की सिफारिशों पर, रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के कतिपय ऐसे वर्गों को अधिसूचित कर सकेगी, जो ऐसी शर्तों और सुरक्षोपायों के, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधीन रहते हुए, ऐसी विवरणी के अनुसार, ऐसी विवरणी को प्रस्तुत करने के लिए उससे अपेक्षित अंतिम तारीख को या उससे पूर्व सरकार को, शोध्य कर या उसके किसी भाग का संदाय करेंगे।”;

(3) उपधारा (9) में, --

(i) “उस मास या तिमाही जिसके दौरान ऐसा लोप या अशुद्ध विशिष्टियां आई हैं” शब्दों के स्थान पर, “ऐसे प्रारूप और रीति में, जो विहित की जाए” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) परंतुक में “वित्तीय वर्ष की समाप्ति” शब्दों के स्थान पर, ऐसे वित्तीय वर्ष, जिससे ऐसे ब्यौरे संबंधित हैं, समाप्ति” शब्द रखे जाएंगे।

18. मूल अधिनियम की धारा 43 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“43अ (1) धारा 16 की उपधारा (2), धारा 37 या धारा 38 में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन प्रस्तुत विवरणियों में, पूर्तिकारों द्वारा की गई पूर्तियों के ब्यौरों का सत्यापन, विधिमान्यकरण, उसमें उपांतरण करेगा या उन्हें हटाएगा।

(2) धारा 41, धारा 42 या धारा 43 में किसी बात के होते हुए भी, प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया और उसका सत्यापन उस प्रकार किया जाएगा, जो विहित किया जाए।

धारा 43 का  
समावेशन।

विवरणी प्रस्तुत करने और  
इनपुट कर प्रत्यय का  
फायदा लेने के  
लिए प्रक्रिया।

(3) प्राप्तिकर्ता द्वारा इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने के प्रयोजनों के लिए, सामान्य पोर्टल पर पूर्तिकार द्वारा जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए।

(4) उपधारा (3) के अधीन जावक पूर्तियों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का फायदा लेने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में इनपुट कर प्रत्यय की ऐसी अधिकतम रकम सम्मिलित हो सकेगी, जिसका इस प्रकार फायदा लिया जा सकता है, जो उक्त उपधारा के अधीन पूर्तिकारों द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों के आधार पर उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(5) ऐसी जावक पूर्तियां में, जिसके लिए पूर्तिकार द्वारा उपधारा (3) के अधीन ब्यौरों को प्रस्तुत किया गया है, विनिर्दिष्ट कर की रकम को, अधिनियम के उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदेय कर के रूप में माना जाएगा।

(6) किसी पूर्ति का पूर्तिकार और प्राप्तिकर्ता, संयुक्ततः और पृथकतः, जावक पूर्तियों के संबंध में लिए गए, यथास्थिति इनपुट कर प्रत्यय का संदाय या कर का संदाय करने के लिए दायी होंगे, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन प्रस्तुत किए गए हैं, किन्तु विवरणी अभी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(7) उपधारा (6) के प्रयोजनों के लिए, वसूली ऐसी रीति में की जाएगी, जो विहित की जाए और ऐसी प्रक्रिया में गलती से प्राप्त की गई एक हजार रूपए से अनाधिक कर या इनपुट कर प्रत्यय की रकम की वसूली न करने के लिए उपबंध हो सकेगा।

(8) ऐसी जावक पूर्तियों, जिनके ब्यौरे उपधारा (3) के अधीन किसी ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित अवधि में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, के संबंध में प्रक्रिया, सुरक्षोपाय और कर की रकम की अवसीमा,

(क) रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने के छह मास के भीतर;

(ख) जिसने कर के संदाय में व्यतिक्रम किया है और जहां ऐसा व्यतिक्रम, व्यतिक्रम की रकम के संदाय की अंतिम तारीख से दो मास से अधिक की अवधि के लिए जारी रहता है, वह होगी, जो विहित की जाए।

धारा 48 का  
संशोधन।

19. मूल अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (2) में, “प्रस्तुत करने के लिए” शब्दों के पश्चात् “और ऐसे अन्य कृत्य करने के लिए” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 49 का  
संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 49 में, --

(1) उपधारा (2) में, “धारा 41” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 41 या धारा 43अ” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(2) उपधारा (5) में, --

(क) खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु राज्य कर के मुद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मुद्दे इनपुट कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;”

(ख) खंड (घ) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

“परंतु संघ राज्यक्षेत्र कर के मुद्दे इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग एकीकृत कर के संदाय के लिए केवल वहां किया जाएगा, जहां केन्द्रीय कर के मुद्दे कर प्रत्यय का अतिशेष एकीकृत कर के संदाय के लिए उपलब्ध नहीं है;”।

नई धारा 49अ  
और 49ब का  
अंतःस्थापन।

कतिपय शर्तों के  
अधीन रहने हुए  
इनपुट कर प्रत्यय  
का उपयोग।

इनपुट कर प्रत्यय  
का उपयोग का  
आदेश।

धारा 52 का  
संशोधन।

धारा 54 का  
संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 49 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :..

“49अ धारा 49 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य कर इनपुट कर प्रत्यय का उपयोग, यथास्थिति, एकीकृत कर या राज्य कर के संदाय के मद्दे, केवल तब किया जाएगा, जब एकीकृत कर के मद्दे उपलब्ध इनपुट कर प्रत्यय का पहले ही ऐसे संदाय के प्रति पूर्णतया उपयोग कर लिया गया है।

49ब इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी और धारा 49 की उपधारा (5) के खंड (ड.) और खंड (च) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकार परिषद् की सिफारिशों से, यथास्थिति, एकीकृत कर, केन्द्रीय कर, राज्य कर, या संघ राज्यक्षेत्र कर का, ऐसे कर के संदाय के मद्दे उपयोग किए जाने के आदेश और रीति को विहित कर सकेगी।”।

22. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (9) में, “धारा 37” शब्द और अंकों के स्थान पर, “धारा 37 या 39” शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

23. मूल अधिनियम की धारा 54 में,—

(1) उपधारा (8) के खंड (क) में “शून्य रेटेड पूर्तियों” शब्दों, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, के स्थान पर, क्रमशः “निर्यात” और “निर्यातों” शब्द रखे जाएंगे।

(2) स्पष्टीकरण के खंड (2) में,—

(क) उपखंड (ग) की मद (प) में, “विदेशी मुद्रा में” शब्दों के पश्चात् “या भारतीय रूपए में, जहां कहीं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति दी जाए,”, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपखंड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

“(ड.) उपधारा (3) के पहले परंतुक के खंड (पप) के अधीन उपयोग न किए गए इनपुट कर प्रत्यय के प्रतिदाय की दशा में, उस

अवधि के लिए, जिसमें ऐसे प्रतिदाय के लिए दावा उत्पन्न होता है, धारा 39 के अधीन विवरणी प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख;”।

धारा 79 का  
संशोधन।

24. मूल अधिनियम की धारा 79 में उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“स्पष्टीकरण - इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, यथस्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट “विशिष्ट व्यक्ति” सम्मिलित होंगे।”।

धारा 107 का  
संशोधन।

25. मूल अधिनियम की धारा 107 की उपधारा (6) के खंड (ख) में, “बराबर राशि का” शब्दों के पश्चात्, “, अधिकतम पच्चीस करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए,” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 112 का  
संशोधन।

26. मूल अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (8) के खंड (ख) में, “बराबर राशि” शब्दों के पश्चात्, “अधिकतम पचास करोड़ रूपए के अधीन रहते हुए, शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

धारा 129 का  
संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 129 की उपधारा (6) में “सात दिन” शब्दों के स्थान पर “चौदह दिन” शब्द रखे जाएंगे।

धारा 143 का  
संशोधन।

28. मूल अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (1) के खंड (ख) में, परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परंतु यह और कि पर्याप्त हेतुक दर्शित किए जाने पर, एक वर्ष और तीन वर्ष की अवधि को, आयुक्त द्वारा क्रमशः एक वर्ष और दो वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए आगे और बढ़ाया जा सकेगा।”।

अनुसूची I का  
संशोधन।

29. मूल अधिनियम की अनुसूची I के पैरा 4 में, “कराधेय व्यक्ति” शब्दों के स्थान पर “व्यक्ति” शब्द रखा जाएगा।

अनुसूची II का  
संशोधन।

30. मूल अधिनियम की अनुसूची II के शीर्षक में, “क्रियाकलाप” शब्द के पश्चात् “या संव्यवहार” शब्द अंतःस्थापित किया जाएंगे और 1 जुलाई, 2017 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे।

अनुसूची III का  
संशोधन।

31. मूल अधिनियम की अनुसूची III में,--

(1) पैरा 6 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

“ 7. भारत के बाहर किसी स्थान से, भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर माल की, ऐसे माल को भारत में प्रवेश किए बिना पूर्ति।

8. (क) घरेलू उपभोग के लिए अनुमति प्रदान किए जाने से पूर्व किसी व्यक्ति को भांडागार में रखे गए माल की पूर्ति।

(ख) प्रेषिति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को, माल का भारत से बाहर अवस्थित मूल पत्तन से प्रेषित किए जाने के पश्चात् किंतु घरेलू उपभोग के लिए अनुमति दिए जाने से पूर्व माल के मालिकाना हक के दस्तावेज में पृष्ठांकन द्वारा माल की पूर्ति।”

(2) स्पष्टीकरण को, स्पष्टीकरण 1 के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

स्पष्टीकरण- इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, “भांडागार में रखे गए माल” पद का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 में उसका है।” 1962 का 52

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

संजय प्रसाद,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

## विधि (विधान) विभाग

### अधिसूचना

15 अक्टूबर, 2018

संख्या-एल०जी०-11/2017-157/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश और माननीया राज्यपाल द्वारा दिनांक-15/10/2018 को अनुमत झारखण्ड माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2018 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।



**Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2018  
(Jharkhand Ordinance No. 08, 2018)**

An Ordinance, to amend Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (Jharkhand Act 12, 2017), in regard to its applicability and enforcement within the State of Jharkhand.

**Preamble**

Whereas the legislative Assembly of State of Jharkhand is not in session and whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary to take immediate action to amend and or delete and or substitute certain existing provisions and also to bring certain new provisions into the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017(Jharkhand Act No. 12, 2017).

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

**1. Short title and commencement.** - (1) This Ordinance may be called the Jharkhand Goods and Services Tax (Amendment) Ordinance, 2018.

(2) Save as otherwise provided, the provisions of this ordinance shall come into force on such date as the Government of Jharkhand may, by notification in the Official Gazette, appoint:

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this ordinance and any reference in any such provision to the commencement of this ordinance shall be construed as a reference to the coming into force of that provision.

**2. Amendment of section 2.-** In section 2 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (hereinafter referred to as the principal Act), —

(1) in clause (4), for the words “the Appellate Authority and the Appellate Tribunal”, the words, brackets and figures “the Appellate

Authority, the Appellate Tribunal and the Authority referred to in sub-section (2) of section 171” shall be substituted;

(2) in clause (16), for the words “Central Board of Excise and Customs”, the words “Central Board of Indirect Taxes and Customs” shall be substituted;

(3) in clause (17), for sub-clause (h), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(h) activities of a race club including by way of totalisator or a license to book maker or activities of a licensed book maker in such club; and”;

(4) clause (18) shall be omitted;

(5) in clause (35), for the word, brackets and letter “clause (c)”, the word, brackets and letter “clause (b)” shall be substituted;

(6) in clause (69), in sub-clause (f), after the word and figures “article 371”, the words, figures and letter “and article 371J” shall be inserted;

(7) in clause (102), the following Explanation shall be inserted, namely:— ‘Explanation.—For the removal of doubts, it is hereby clarified that the expression “services” includes facilitating or arranging transactions in securities;’.

**3. Amendment of section 7.-** In section 7 of the principal Act, with effect from the 1st day of July, 2017,—

(1) in sub-section (1), —

(i) in clause (b), after the words “or furtherance of business;”, the word “and” shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted;

(ii) in clause (c) after the words “a consideration”, the word “and” shall be omitted and shall always be deemed to have been omitted;

(iii) clause (d) shall be omitted and shall always be deemed to have been omitted;

(2) after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted and shall always be deemed to have been inserted, namely:-

“(1A) where certain activities or transactions, constitute a supply in accordance with the provisions of sub-section (1), they shall be treated either as supply of goods or supply of services as referred to in Schedule II.”;

(3) in sub-section (3), for the words, brackets and figures “sub-sections (1) and (2)”, the words, brackets, figures and letter “sub-sections (1), (1A) and (2)” shall be substituted.

**4. Amendment of section 9.-** In section 9 of the principal Act, for sub-section (4), the following

sub-section shall be substituted, namely:-

“(4) The Government may, on the recommendations of the Council, by notification, specify a class of registered persons who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both received from an unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis as the recipient of such supply of goods or services or both, and all the provisions of this Act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services or both.”.

**5. Amendment of section 10.-** In section 10 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1) —

(a) for the words “in lieu of the tax payable by him, an amount calculated at such rate”, the words, brackets and figures “in lieu of the tax payable by him under sub-section (1) of section 9, an amount of tax calculated at such rate” shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words “one crore rupees, as may be recommended by the Council.”, the words “one crore and fifty lakh rupees as may be recommended by the Council:” shall be substituted;

(c) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that a person who opts to pay tax under clause (a) or clause (b) or clause (c) may supply services (other than those referred to in clause (b) of paragraph 6 of Schedule II), of value not exceeding ten per cent. of turnover in the State in the preceding financial year or five lakh rupees, whichever is higher.”;

(2) in sub-section (2), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

“(a) save as provided in sub-section (1), he is not engaged in the supply of services;”.

**6. Amendment of section 12.-** In section 12 of the principal Act, in sub-section (2), in clause (a), the words, brackets and figure “sub-section (1) of” shall be omitted.

**7. Amendment of section 13.-** In section 13 of the principal Act, in sub-section (2), the words, brackets and figure “sub-section (2) of” occurring at both the places, shall be omitted.

**8. Amendment of section 16.-** In section 16 of the principal Act, in sub-section(2),-

(1) in clause (b), for the Explanation, the following Explanation shall be substituted, namely:-

“Explanation.—For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services-

- (i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;
- (ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person.”;

(2) in clause (c), for the word and figures “section 41”, the words, figures and letter “section 41 or section 43A” shall be substituted.

**9. Amendment of section 17.-** In section 17 of the principal Act,-

(1) in sub-section (3), the following Explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation.—For the purposes of this sub-section, the expression ‘value of exempt supply’ shall not include the value of activities or transactions specified in Schedule III, except those specified in paragraph 5 of the said Schedule.”;

(2) in sub-section (5), for clauses (a) and (b), the following clauses shall be substituted, namely:—

“(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely:-

- (A) further supply of such motor vehicles; or
- (B) transportation of passengers; or
- (C) imparting training on driving such motor vehicles;

(aa) vessels and aircraft except when they are used-

(i) for making the following taxable supplies, namely:-

- (A) further supply of such vessels or aircraft; or
- (B) transportation of passengers; or
- (C) imparting training on navigating such vessels; or
- (D) imparting training on flying such aircraft;

(ii) for transportation of goods;

(ab) services of general insurance, servicing, repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):

Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available—

(i) where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purposes specified therein;

(ii) where received by a taxable person engaged-

- (1) in the manufacture of such motor

vehicles, vessels or  
aircraft; or

(II) in the supply of  
general insurance  
services in respect of  
such motor vehicles,  
vessels or aircraft insured  
by him;

(b) the following supply of goods or services or  
both-

(i) food and beverages, outdoor  
catering, beauty treatment, health services,  
cosmetic and plastic surgery, leasing, renting  
or hiring of motor vehicles, vessels or  
aircraft referred to in clause (a) or clause  
(aa) except when used for the purposes  
specified therein, life insurance and health  
insurance:

Provided that the input tax credit in  
respect of such goods or services or both shall  
be available where an inward supply of such  
goods or services or both is used by a  
registered person for making an outward  
taxable supply of the same category of goods  
or services or both or as an element of a  
taxable composite or mixed supply;

(ii) membership of a club, health and fitness centre;  
and

(iii) travel benefits extended to employees  
on vacation such as leave or home travel  
concession:

Provided that the input tax credit in  
respect of such goods or services or both shall  
be available, where it is obligatory for an  
employer to provide the same to its  
employees under any law for the time being  
in force.”.

**10. Amendment of section 20.-** In section 20 of the principal Act,  
in the Explanation, in clause (c), for the words and figures “under  
entry 84,”, the words, figures and letter “under entries 84 and  
92A” shall be substituted.

**11. Amendment of section 22.-** In section 22 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that where such person makes taxable supplies of goods or services or both from a special category State in respect of which the Central Government has enhanced the aggregate turnover referred to in the first proviso, he shall be liable to be registered if his aggregate turnover in a financial year exceeds the amount equivalent to such enhanced turnover.”;

(2) in the Explanation, in clause (iii), after the word “Constitution”, the words “except the State of Jammu and Kashmir and States of Arunachal Pradesh, Assam, Himachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Uttarakhand” shall be inserted.”.

**12. Amendment of section 24.-** In section 24 of the principal Act, in clause (x), after the words “commerce operator”, the words and figures “who is required to collect tax at source under section 52” shall be inserted.

**13. Amendment of section 25.-** In section 25 of the principal Act,—

(1) in sub-section (1), after the proviso and before the Explanation, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that a person having a unit, as defined in the Special Economic Zones Act, 2005 (Central Act 28 of 2005), in a Special Economic Zone or being a Special Economic Zone developer shall have to apply for a separate registration, as distinct from his place of business located outside the Special Economic Zone in the State.”;

(2) in sub-section (2), for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

“Provided that a person having multiple places of business in the State may be granted a separate registration for each such place of business, subject to such conditions as may be prescribed.”.

**14. Amendment of section 29.-** In section 29 of the principal Act,—

(1) in the heading after the word “Cancellation”, the words “or suspension” shall be inserted;

(2) in sub-section (1), after clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration filed by the registered person, the registration may be suspended for such period and in such manner as may be prescribed.”;

(3) in sub-section (2), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that during pendency of the proceedings relating to cancellation of registration, the proper officer may suspend the registration for such period and in such manner as may be prescribed.”.

**15. Amendment of section 34.-** In section 34 of the principal Act,-

(1) in sub-section (1),-

(a) for the words “Where a tax invoice has”, the words “Where one or more tax invoices have” shall be substituted;

(b) for the words “a credit note”, the words “one or more credit notes for supplies made in a financial year” shall be substituted;

(2) in sub-section (3),-

(a) for the words “Where a tax invoice has”, the words “Where one or more tax invoices have” shall be substituted;

(b) for the words “a debit note”, the words “one or more debit notes for supplies made in a financial year” shall be substituted.

**16. Amendment of section 35.-** In section 35 of the principal Act, in sub-section (5), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that nothing contained in this sub-section shall apply to any department of the Central Government or a State Government or a local authority, whose books of account are subject to audit by the Comptroller and Auditor-General of India or an auditor appointed for auditing the accounts of local authorities under any law for the time being in force.”.

**17. Amendment of section 39.-** In section 39 of the principal Act,-

(1) in sub-section (1),-

(a) for the words “in such form and manner as may be prescribed”, the words “in such form, manner and



within such time as may be prescribed” shall be substituted;

(b) the words “on or before the twentieth day of the month succeeding such calendar month or part thereof.” shall be omitted;

(c) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall furnish return for every quarter or part thereof, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.”;

(2) in sub-section (7), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the Government may, on the recommendations of the Council, notify certain classes of registered persons who shall pay to the Government the tax due or part thereof as per the return on or before the last date on which he is required to furnish such return, subject to such conditions and safeguards as may be specified therein.”;

(3) in sub-section (9),-

(a) for the words “in the return to be furnished for the month or quarter during which such omission or incorrect particulars are noticed”, the words “in such form and manner as may be prescribed” shall be substituted;

(b) in the proviso, for the words “the end of the financial year”, the words “the end of the financial year to which such details pertain” shall be substituted.

**18. Insertion of section 43A.-** After section 43 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

**“43A. Procedure for furnishing return and availing input tax credit.** (1) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) of section 16, section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under sub-section (1) of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers.

(2) Notwithstanding anything contained in section 41, section 42 or section 43, the procedure for availing of input tax credit by the recipient and verification thereof shall be such as may be prescribed.

(3) The procedure for furnishing the details of outward supplies by the supplier on the common portal, for the purposes of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed.

(4) The procedure for availing input tax credit in respect of outward supplies not furnished under sub-section (3) shall be such as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed, not exceeding twenty per cent. Of the input tax credit available, on the basis of details furnished by the suppliers under the said sub-section.

(5) The amount of tax specified in the outward supplies for which the details have been furnished by the supplier under sub-section (3) shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the Act.

(6) The supplier and the recipient of a supply shall be jointly and severally liable to pay tax or to pay the input tax credit availed, as the case may be, in relation to outward supplies for which the details have been furnished under sub-section (3) or sub-section (4) but return thereof has not been furnished.

(7) For the purposes of sub-section (6), the recovery shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of tax or input tax credit wrongly availed not exceeding one thousand rupees.

(8) The procedure, safeguards and threshold of the tax amount in relation to outward supplies, the details of which can be furnished under sub-section (3) by a registered person,-

(a) within six months of taking registration;

(b) who has defaulted in payment of tax and where such default has continued for more than two months from the due date of payment of such defaulted amount, shall be such as may be prescribed.”.

**19. Amendment of section 48.-** In section 48 of the principal Act, in sub-section (2), after the word and figures “section 45”, the words “and to perform such other functions” shall be inserted.

**20. Amendment of section 49.-** In section 49 of the principal Act,-

(1) in sub-section (2), for the word and figures “section 41”, the words, figures and letter “section 41 or section 43A” shall be substituted;

(2) in sub-section (5),-

(a) in clause (c), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;”

(b) in clause (d), the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that the input tax credit on account of Union territory tax shall be utilised towards payment of integrated tax only where the balance of the input tax credit on account of central tax is not available for payment of integrated tax;”.

**21. Insertion of section 49A and section 49B.-** After section 49 of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely:-

**“49A. Utilisation of input tax credit subject to certain conditions.-**

Notwithstanding anything contained in section 49, the input tax credit on account of State tax shall be utilised towards payment of integrated tax or State tax, as the case may be, only after the input tax credit available on account of integrated tax has first been utilised fully towards such payment.

**49B. Order of utilisation of the input tax credit.-**

Notwithstanding anything contained in this Chapter and subject to the provisions of clause (e) and clause (f) of sub-section (5) of section 49, the Government may, on the recommendations of the Council, prescribe the order and manner of utilisation of the input tax credit on account of integrated tax, central tax, State tax or Union territory tax, as the case may be, towards payment of any such tax.”.

**22. Amendment of section 52.-** In section 52 of the principal Act, in sub-section (9), for the word and figures “section 37”, the words and figures “section 37 or section 39” shall be substituted.

**23. Amendment of section 54.-** In section 54 of the principal Act,-

(1) in sub-section (8), in clause (a), for the words “zero-rated supplies”, the words “export” and “exports” shall respectively be substituted;

(2) in the Explanation, in clause (2),—

(a) in sub-clause (c), in item (i), after the words “foreign exchange”, the words “or in Indian rupees wherever permitted by the Reserve Bank of India” shall be inserted;

(b) for sub-clause (e), the following sub-clause shall be substituted, namely:-

“(e) in the case of refund of unutilised input tax credit under clause (ii) of the first proviso to sub-section (3), the due date for furnishing of return under section 39 for the period in which such claim for refund arises;”.

**24. Amendment of section 79.-** In section 79 of the principal Act, after sub-section (4), the following Explanation shall be inserted, namely:—

‘Explanation.—For the purposes of this section, the word person shall include “distinct persons” as referred to in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25.’.

**25. Amendment of section 107.-** In section 107 of the principal Act, in sub-section (6), in clause (b), after the words “arising from the said order,”, the words “subject to a maximum of twenty-five crore rupees,” shall be inserted.

**26. Amendment of section 112.-** In section 112 of the principal Act, in sub-section (8), in clause (b), after the words “arising from the said order,” the words “subject to a maximum of fifty crore rupees,” shall be inserted.

**27. Amendment of section 129.-** In section 129 of the principal Act, in sub-section (6), for the words “seven days” occurring at both the places, the words “fourteen days” shall be substituted.

**28. Amendment of section 143.-** In section 143 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (b), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided further that the period of one year and three years may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding one year and two years respectively.”.

**29. Amendment of Schedule I.-** In Schedule I of the principal Act, in paragraph 4, for the words “taxable person”, the word “person” shall be substituted.

**30. Amendment of Schedule II.-** In Schedule II of the principal Act, in the heading, after the word “ACTIVITIES”, the words “OR TRANSACTIONS” shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st day of July, 2017.

**31. Amendment of Schedule III.-** In Schedule III of the principal Act, —  
(1) after paragraph 6, the following paragraphs shall be inserted, namely:-

“7. Supply of goods from a place outside India to another place outside India without such goods entering into India.

8. (a) Supply of warehoused goods to any person before clearance for home consumption;

(b) Supply of goods by the consignee to any other person, by endorsement of documents of title to the goods, after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption.”;

(2) The Explanation shall be numbered as Explanation 1 and after Explanation 1 as so numbered, the following Explanations shall be inserted, namely:-

“Explanation 2.—For the purposes of paragraph 8, the expression “warehoused goods” shall have the same meaning as assigned to it in the Customs Act, 1962 (Central Act 52 of 1962).”.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

**संजय प्रसाद,**

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी  
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

-----